न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code — UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 536/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 1394/2026
(CNR No: UPGZ010031312026)

अभिषेक गुप्ता पुत्र चन्द्रकान्त गुप्ता, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी–868 एफ जाहरवीर वाली गली मंदिर ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ।

...................आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 736/2024
धारा– 85,115(2),352 बी.एन.एस.
एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना –मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।

....

<u>आदेश</u>

<u>13.03.2026</u>

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अभिषेक गुप्ता की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गयी और न ही दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया गया है। वादिनी मुकदमा आवेदक/अभियुक्त के परिजनों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती है और समझाने पर गालियां देकर अपमानित करती है। आवेदक/अभियुक्त पीडिता का पति है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य है। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहती है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। आवेदक/अभियुक्त वादिनी का पति है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त मामले को मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद को प्रेषित किया जाए। पक्षकार दिनांक 19.03.2026 को मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद में उपस्थित हों। वादिनी को नोटिस संबंधित थाने के माध्यम से प्रेषित किया जाये। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक प्रपत्र को अविलम्ब मध्यस्थता केन्द्र को प्रेषित करे। पीठासीन अधिकारी मध्यस्थता केन्द्र गाजियाबाद से अपेक्षित है कि अपनी

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.16 10:18:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आख्या दिनांक 31.03.2026 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

7. नियत दिनांक तक आवेदक/अभियुक्त को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 31.03.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो। नियत दिनांक के लिए सम्बन्धित थाने से केस डायरी आहूत हो।

(विनोद सिंह रावत)

दि० 13.03.2026

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।